



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2123]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 2010/आश्विन 19, 1932

No. 2123]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2010/ASVINA 19, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2010

(आयकर)

का.आ. 2519(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80गगच द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित बंधपत्रों को अधिसूचित करती है जो उक्त धारा के प्रयोजनार्थ दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, नामतः—

- (क) बंधपत्र का नाम : भारतीय अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल) का 'दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र'
- (ख) बंधपत्र का निर्गमकर्ता : भारतीय अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल) का 'दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र'
- (ग) निर्गम पर सीमा :
- (i) बंधपत्र वित्त वर्ष 2010-2011 के दौरान जारी किया जाएगा;
- (ii) वित्त वर्ष के दौरान निर्गम की मात्रा वित्त वर्ष 2009-2010 के दौरान निर्गमकर्ता द्वारा किए गए सम्बृद्धि अवसंरचना निवेशों के पच्चीस प्रतिशत तक सीमित होगी;
- (iii) इस सीमा के परियोजनाार्थ 'निवेश' में ऋण, बंधपत्र, अन्य प्रकार के कर्ज, अर्थ इक्विटी, वरीयता इक्विटी तथा इक्विटी;

(घ) बंधपत्र की अवधि :

- (i) दस वर्ष की न्यूनतम अवधि;
- (ii) निवेशक के लिए न्यूनतम अवरुद्ध अवधि पांच वर्ष की होगी;
- (iii) अवरुद्ध के उपरान्त, निवेशक द्वितीयक विपणन के माध्यम से अथवा पुनः खरीद के माध्यम से जो निर्गमकर्ता द्वारा निर्गम के समय निर्गम दस्तावेज में विहित किया गया हो, बाहर निकल सकता है;
- (iv) उक्त अवरुद्ध अवधि के उपरान्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए बंधपत्रों को गिरवी अथवा धारणाधिकार अथवा माल बंधन के रूप में अनुमति दी जाएगी;
- (ङ) प्रस्तुत की जाने वाली स्थाई खाता संख्या (पैन) : अंशदता के लिए निर्गमकर्ता को अपना पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा;
- (च) बंधपत्र की लब्धि:- बंधपत्र की लब्धि तदनुरूपी अवशेष परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति पर लब्धि से अधिक नहीं होगी जैसा कि भारतीय फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवटिव एसोसिएशन द्वारा बंधपत्र के निर्गम के ठीक पहले के माह के अंतिम कार्य दिवस को सूचित किया गया है;
- (छ) आगमों का अंतिम उपयोग एवं रिपोर्टिंग अथवा निगरानी तंत्र:-
- (i) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है, आगमों का इस्तेमाल 'अवसंरचना' ऋण के लिए किया जाएगा;

- (ii) निगमकर्ता वित्त वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर अवरसंरचना प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास अवधि पत्रकों सहित इन्हें दाखिल भी करेगा।

[अधिसूचना सं. 77/2010/फा.सं. 178/31/2010-एस ओ (आई टी ए-1)]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-1)

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th October, 2010

**(INCOME-TAX)**

**S.O. 2519(E).**— In exercise of the powers conferred by section 80CCF of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the following bonds that shall be subject to the following conditions, as long term infrastructure bonds for the purposes of the said section, namely :—

- (a) Name of the bond: “Long term infrastructure Bond” of India Infrastructure Finance Company Ltd. (IIFCL)
- (b) Issuer of the bond: “Long term infrastructure Bond” of India Infrastructure Finance Company Ltd. (IIFCL)
- (c) Limit on issuance :
- (i) The bond shall be issued during the financial year 2010-2011;
- (ii) the volume of issuance during the financial year shall be restricted to twenty-five per cent of the incremental infrastructure investments made by the issuer during the financial year 2009-2010;
- (iii) ‘investments’ for the purposes of this limit shall include loans, bonds, other forms of debt quasi-equity, preference equity and equity;

- (d) Tenure of the bond :

- (i) a minimum period of ten years;
- (ii) the minimum lock-in period for an investor shall be five years;
- (iii) after the lock-in, the investor may exit either through the secondary market or through a buyback facility, specified by the issuer in the issue documents at the time of issue;
- (iv) the bonding shall also be allowed as pledge or, lien or hypothecation for obtaining loans from Scheduled Commercial Banks, after the said lock-in period;
- (e) Permanent Account Number (PAN) to be furnished:—It shall be mandatory for the subscribers to furnish their PAN to the issuer;
- (f) Yield of the bond:—The yield of the bond shall not exceed the yield on government securities of corresponding residual maturity as reported by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA), as on the last working day of the month immediately preceding the month of the issue of the bond;
- (g) End-use of proceeds and reporting or monitoring mechanism :— (i) The proceeds shall be utilized towards ‘infrastructure lending’ as defined by the Reserve Bank of India in the Guidelines issued by it;
- (i) the end-use shall be duly reported in the Annual Reports and other reports submitted by the issuer to the Regulatory Authority concerned, and specifically certified by the Statutory Auditor of the issuer;
- (ii) the issuer shall also file these along with term sheets to the Infrastructure Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance within three months from the end of financial year.

[Notification No. 77/2010/F.No.178/31/2010-SO(ITA-1)]

RAMAN CHOPRA, Director (ITA-1)